

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना न० 61/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा०का०नि०(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा(6) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्या सा०का०नि० 1256 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 42/2017 केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को अधिक्रान्त करते हुए जिनका ऐसा अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, आयुक्त एकीकृत माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देनेवाले डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सेवाओं को प्रदान करनेवाले व्यक्ति के लिए जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 मास की विवरणी के प्ररूप जीएसटीआर-5क की समय सीमा 15 दिसंबर, 2017 तक बढ़ादी है।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवरसचिव, भारतसरकार